सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.: NCST-04/0Mon(DL)/1/2024-RMDC दिनांक: 06.05.2024

सेवा में-

श्री आर. पाइते
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC)
भीकाजी कमा प्लेस, रामकृष्णा पुरम,
नई दिल्ली-110022
ए-मेल: cmd.nstfdc@gmail.com; दूरभाष: 011-26712519

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 23.04.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) द्वारा दिये प्रस्तुतीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर NSTFDC द्वारा, श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) द्वारा अपनायी गयी कार्यालय प्रक्रिया तथा देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में दिये गए प्रस्तुतीकरण के कार्यवृत संलग्न करने का निदेश हुआ है।

आपसे निवेदन है कि प्रस्तुतीकरण के समय आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं पर समुचित कार्यवाई करने का कष्ट करें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) द्वारा रु. 750 करोड़ के संबंध में दिये गए EFC प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर. एस. मिश्र
अनुसंधान अधिकारी (RMDC)
दूरभाष: 011-24641640

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फ़ाइल सं: NCST-04/0Mon(DL)/1/2024-RMDC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) द्वारा अपनायी गयी कार्यालय प्रक्रिया तथा देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में, श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षयता में दिनांक 23.04.2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे किए गए प्रस्तुतीकरण के कार्यवृत्त:

प्रस्तुतीकरण की बैठक के प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक पर है।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.), भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338क तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और समाजिक-आर्थिक विकास की देखभाल करना है। यह अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न शिकायतों की जांच एवं उनपर अपनी संस्तुति करता है जिससे संवैधानिक प्रावधानों, आदेशों, नियमों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हो सके। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबन्धित नीतिगत मामलों में सलाह भी देता है। संविधान के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार, माननीय राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के कल्याणकारी एवं विकास से संबन्धित मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

3. संविधान के अंतर्गत दिये गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC), नई दिल्ली द्वारा आयोग के समक्ष उनके कार्यालय में स्वीकृतपद, रिक्तियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का विवरण, NSTFDC द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण, विगत तीन तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित एवं उपयोग की गयी धनराशि का विवरण एवं योजनाओं/कार्यक्रमों में सुधार हेतु सुझाव पर प्रस्तुतीकरण करें।

4. आयोग के संयुक्त सचिव ने प्रस्तुतीकरण के प्रारम्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों तथा सचिव एवं अन्य अधिकारियों का परिचय कराया तथा बैठक का उद्देश्य बताया। NSTFDC से अधिकारियों से निवेदन किया वह अपना परिचय माननीय अध्यक्ष महोदय को बताएं। तत्पश्चात, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) तथा NSTFDC के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना स्वयं परिचय दिया तथा प्रस्तुतीकरण से पूर्व, आयोग के माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यों का स्वागत किया।

5. NSTFDC के वरिष्ठ अधिकारी ने मुख्य बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण किया वो इस प्रकार हैं: एनएसटीएफडीसी का पृष्ठभूमि; मौजूदा स्वीकृत पद, पद और रिक्तियां; अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद; श्रेणीवार नियुक्तियों का विवरण; अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा संख्या; भर्ती एवं पदोन्नति में अपनाई गई प्रक्रिया; NSTFDC के कार्यालय (निगमित एवं क्षेत्रीय) का विवरण; NSTFDC द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन का संक्षिप्त विवरण; जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त धनराशि; NSTFDC की योजनाएँ (मियादी ऋण, आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना, स्व सहायता समूह के लिए योजना (SHG), आदिवासी शिक्षा ऋण योजना); कार्यान्वियन एजेन्सिया – राज्यवार परिचालन स्थिति; नोशनल आबंटन एवं संवितरण (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25); प्रदर्शन: मंजूरियाँ, संवितरण एवं लाभार्थी; आय एवं व्यय विवरण (वर्ष 2019-20 से 2022-22); प्रमुख पहल; चुनौतियाँ और मुद्दे।

6. आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रस्तुतीकरण पर निम्नवत बिन्दुओं पर ध्यान देने को कहा:

1. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के लाभार्थियों की सूची (पूर्ण पते के साथ)।
2. मियादी ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज दर, आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना के अनुरूप करने पर विचार करने की आवश्यकता है। ऋण प्रदान करने हेतु, कार्यान्विन एजेंसियो में बैंकों को प्राथमिकता दी जाए।
3. जो कार्यान्विन एजेंसियाँ ऋण चुकाने में असमर्थ हैं उनके मामले संबन्धित राज्य सरकार के साथ उठाने की आवश्यकता है।
4. आदिवासी शिक्षा ऋण योजना को प्रचारित करने की आवश्यकता है।
5. जिन 21 बैंकों को धन प्रदान किया है, उनसे जमानत (guarantee) के रूप में दी गयी जानकारी की आवश्यकता है।
6. बैंकों से कहा जाये की वह NSTFDC के ब्याज दर को लाभार्थियों को बताएं।
7. स्वायत्त जिला परिषद (जो संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्थापित हैं), को NSTFDC द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में शामिल किया जाये।
8. राज्य की कार्यान्विन एजेंसियों, जो अक्षम हैं, उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।
9. राज्य की कार्यान्विन एजेंसियों, धन आवंटन प्रक्रिया, की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
10. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की कार्यान्विन एजेंसी का विगत तीन वर्षों में धन वितरण तथा लाभार्थियों की सूचना उपलब्ध करायँ, जिससे उनके द्वारा अपनाए गए उपायों का दूसरे राज्यों में प्रयोग किया जा सके।
11. बैंकों के उन शाखाओं का चयन करने की आवश्यकता है जहां पर अनुसूचित जन जातियों की लाभार्थी अधिक संख्या में हों।
12. मिज़ोरम राज्य में विगत तीन वर्षों में दिये गए आदिवासी शिक्षा ऋण योजना दिये गए धन एवं लाभार्थी का विवरण प्रदान किया जाये।

दिनांक 23.04.2024 को श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित अधिकारियों कि सूची:

क्रम संख्या	**नाम**	**पद**
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग		
1.	श्री निरूपम चकमा	सदस्य
2.	डॉ. आशा लकड़ा	सदस्या
3.	श्री जाटोतु हुसेन	सदस्य
4.	श्रीमति अलका तिवारी	सचिव
5.	श्री के. तउथांग	संयुक्त सचिव
6.	श्रीमति मिरांडा इंगुदम	निदेशक
7.	श्री आर. एस. मिश्र	अनुसंधान अधिकारी
8.	श्री आकाश त्रिपाठी	अन्वेषक
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC)		
1.	श्री टी. आर. पाइते	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री अनिल कुमार जुयाल	मुख्य महाप्रबंधक
3.	श्री आर. जे. कच्छप	महाप्रबंधक
4.	श्री कुंज बिहारी	कंपनी सचिव